निर्णय दिनांक 25/02/21

वादी की और से श्री रामकुमार कस्वा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से श्री मदनलाल मुण्ड अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 25/02/21... को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाकर डिक्री की जाती है कि चक 7 यू टी एस के खाता संख्या 41/41 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2.783 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम प्रतिवादी संख्या 2 के साथ बहिस्सा बराबर मे दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम चक 7 यू टी एस खाता संख्या 41/41 से कलमजन किया जावे।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बिरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेगे।

आदेश आज दिनांक 25/02/21...को मेरे द्वारा लिखाया गया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned with CamScanner